जवाहर नवोदय विद्यालय प्रभातपट्टन जिला बैतूल (म.प्र)

क्रमांक जनवि/प्र.प/निविदा/2017–2018/ दिनांकः

प्रति,

____

____

____

विषयः– ——————————————————सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा–पत्र।

जवाहर नवोदय विद्यालय प्रभातपट्टन जिला बैतूल के लिये——————————————————————सामग्री की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 26.04.2017 को दोपहर 4.00 बजे तक पंजीकृत डाक एवं व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित की जाती हैं जो प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय प्रभात पट्टन जिला बेतूल के कार्यालय में दिनांक 27.04.2017 को प्रातः 11.30 बजे विद्यालय क्रय सलाहकार समिति एवं निविदादाताओं व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी।

निविदादाताओं को निर्देशित किया जाता है कि निविदा–पत्र में उल्लेखित पैरा क्र.01 से 20 तक की नियम एवं शर्ते उनपर पूर्णतया लागू होगी एवं इनका अनिवार्य अनुपालन उनके लिए आवश्यक होगा।

01. **खाद्य सुरक्षा और मानकों के अनुसार,2006 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ खाद्य सुरक्षा के लिए अन्य बातों के साथ विनियमन,निर्माण,भण्डारण,वितरण और बिक्री के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 12.1.2 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण) विनियमन,2011 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खाद्य व्यवसार शुरू नहीं करेगा, जब तक कि उसे एक वैध लाइसेंस नहीं मिले। का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा।**
02. **निविदा–पत्र में दर्शाई गई समस्त कर एवं भाडा सहित दरें अंकित की जानी चाहिए।** जवाहर नवोदय **विद्यालय किसी प्रकार का अतिरिक्त कर या भाडा का भुगतान नही करेगा व सामग्री विद्यालय परिसर में पहुॅचाकर प्रदाय करनी होगी, एफ.ओ.आर विद्यालय परिसर होगा।**
03. निविदा पत्र में दर्शाई गई दरों में कॉट–छॉट नहीं होना चाहिए। यदि किसी अंक पर कॉट–छॉट की जाती है तो उस अंक को घेरा बनाकर नयी दर अंकित करना चाहिए एवं उन जगहों पर सम्बन्धित निविदादाता का हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा। हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य कर दी जायगी। निविदा पत्र में दिये गये ब्राण्ड की ही दरें अपेक्षित होगा। अपनी ओर से किसी अन्य ब्राण्ड को अंकित ना करें अन्यथा अन्य ब्राण्ड की दरों पर विचार नही किया जायेगा एवं दर सम्मिलित नही किया जायेगा।
04. **निविदा पत्र में अंकित कम मूल्यों को स्वीकार करने या ना करने का अधिकार प्राचार्य एवं अध्यक्ष क्रय सलाहकार समिति को है। वह किसी भी निविदा पत्र के सम्पूर्ण या आंशिक सामग्री को स्वीकार कर सकते है।**
05. निविदा–पत्र के आधार पर निविदादाता एवं क्रेता में अनुबंध हो जायेगा जिसे शासकीय जी.एफ.आर के नियमों का पालन करना होगा। **यह अनुब्रंध निविदा स्वीकृत होने के बाद 100/– के स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में देना होगा।**
06. **एक वस्तु का एक ही मूल्य अंकित करें।** कई मूल्य अंकित करने एवं निविदा शर्तो का पालन ना करने पर ऐसे निविदा दाताओं के मूल्यों को निरस्त किया जावेगा। **न्यूनदम दरों को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर क्रय सलाहकार समिति को वस्तु एवं दरें स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।**
07. निविदादाता द्वारा विज्ञापन में दर्शायी गयी सम्बन्धित मद की निर्धारित धरोहर राशि को प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय प्रभात पट्टन के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक प्रभात पट्टन में देय हाना चाहिए। निविदा–पत्र के साथ जमा की गयी धरोहर राशि निविदा स्वीकार होने पर उक्त मद में वर्ष 2017–2018 में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री को कुल देय राशि 10 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में लिया जायेगा एवं इसमें धरोहर राशि को समायोजित किया जायगा। यदि निविदादाता द्वारा अनुबंध की शर्तो का पालन नहीं किया जाता है तो इसका स्पष्ट कारण बताना होगा। **क्रय सलाहकार समिति को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता के कारणों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सके। आदेश की पूर्ति ना करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।**

08. निविदादाता को सामानों की आपूर्ति विद्यालय पहुंचाकर देनी है। यदि निर्धारित समय में विद्यालय में आपूर्ति नहीं की जाती है तब क्रय सलाहकार समिति को यह अधिकार होगा कि उक्त सामग्री खुले बाजार से क्रय कर ले व अंतर की राशि को निविदादाता के धरोहर राशि से समायोजित कर लिया जाये। यदि अंतर की राशि अधिक है तो निविदा दाता के बिलों से काट लिया जावेगा।

09. क्रय सलाहकार समिति को निविदा पत्र में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा से आवश्यकतानुसार कम या अधिक क्रय करने का अधिकार होगा एवं इसके लिये निविदादाता को इसका कारण बताना जरूरी नही होगा। **क्रय सलाहकार समिति को यह भी अधिकार होगा की निविदाकर्ता से सामग्री आशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से क्रय करें अथवा निविदा निरस्त कर या पुनः निविदा कर या सामग्री खुले बाजार से नियमों का पालन कर क्रय करें। निविदा कर्ता से ही सामग्री क्रय करना बंधनकारण नही होगा।**

10. **निविदादाता को समस्त सामानों का सेम्पल (नमूना)निविदा खुलने की तिथि को लाना/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।सेम्पलों का प्रदर्शन स्वयं करना होगा। चयनित सेम्पलों को क्रय सलाहकार समिति सुरक्षित रख लेगी। सामग्री का सेम्पल निविदा दाता को बिना भुगतान के जमा करना होगा एवं निविदा खुलने के स्थान तक आवश्यकतानुसार पहुंचाना होगा एवं सेम्पल वापस नहीं किया जावेगा।**

11. निविदा की दरें 30.04.2018 तक के लिए मान्य होंगी। समस्त अवधि में यदि शासकीय घोषणा के अनुसार करों में परिवर्तन हाते है तो विद्यालय अतिरिक्त करों का भुगतान नहीं करेगा। जब भी कम्पनीयों/एजेन्सियों द्वारा सामग्री के साथ **फ्री गिफ्ट स्कीम के तहत उपहार दिया जाता है,वह देना होगा और उसे बिलों पर भी उपहार सामग्री लिखकर अंकित करना होगा अन्यथा सामग्री के मूल्यों में से उपहार की मूल्य राशि को काटकर भुगतान किया जायेगा।**

12. निविदा दाता द्वारा आपूर्ति की गई सामानों की गुणवत्ता की जॉच विद्यालय क्रय समिति या उनके प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय में जमा नमूना के आधार पर मिलान कर जॉच की जावेगी। सामग्री की गुणवत्ता में अंतर पाए जाने पर सामग्री को निरस्त कर वापस कर दिया जायेगा एवं निविदादाता को दुबारा सेम्पल के गुणवत्ता के आधार पर सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

13. निविदा दाता को फर्नीचर जैसे सामानों के लिए टिकाऊ/स्टील फर्नीचर/सागौन लकडी उपयोग करना होगा एवं जोडो पर 10 प्रतिशत से अधिक का गैप नही होना चाहिए साथ ही उक्त सामानों पर विक्रेता का नाम एवं निर्माण वर्ष का धातु का प्लेट लगाना अपेक्षित होगा।

14. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रीयॉ यदि 6 माह तक किसी भी प्रकार के निर्माण में या सामग्री की गुणवत्ता में खराबी पायी जाती है तो खराब सामग्री का मूल्य राशि निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि से काटकर समायोजित कर लिया जावेगा।

15. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जावेगी,जिनकी तकनीकी निविदा सही होगी,उन्ही फमों की वित्तीय निविदा (दर सूची) करे खोला जावेगा। अतःतकनीकी दृष्टी से असफल फर्मो की वित्तीय निविदा(दर सूची) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

16. वित्तीय निविदा दर सूची पूर्णतः भरा होने पर ही स्वीकर किया जावेगा,अपूर्ण मदों की दरें भरने पर निरस्त माना जावेगा। निविदा–पत्र के सभी पन्नो पर निविदादाता द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर करें।

17. भुगतान प्रकियाःप्रत्येक फर्मो को आपूर्ति के समय टीन नम्बर सहित पक्का बिल प्रस्तुत करना होगा,चालान या कच्चे बिल से कोई भुगतान नही किया जावेगा। **सभी फर्मो को सम्बन्धित सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जायेगा। भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा।आपूर्ति करने के पश्चात पंन्द्रह दिनों के भीतर पक्का विपत्र (बिल) प्रस्तुत नही करनें पर विपत्र (बिलों) का भुगतान नहीं किया जायेगा जिसकी संपूर्ण जबाबदेही निविदाताओं की होगी।**

18. **निविदा दर सूची में मांगी गई वस्तु–वजन/ब्रान्ड/मात्रा के अनुसार ही दरें भरें।अपनी और से कटिंग कर जोडना एवं बदलना निविदा फार्म में हेरा–फेरी किया जाना,मानकार उन्हे तुलनात्मक पत्रक में शामिल नहीं किया जावेगा, अतःनिविदा में दिये गये सामग्री के नामों एवं ब्रान्ड के अनुसार ही दरें भरी जावें किसी अन्य रूप में नहीं।**

19. **सभी ब्रान्डेड सामग्रियों पर उत्पादन की तिथी,अनुपयोग की तिथि,लॉट नं.तथा एम.आर.पी मूल्य आदि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहियें।**

20. निविदा पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज सलग्न करना अनिवार्य होगा।

1- फर्म का जीवित पंजीयन टिन नं.प्रमाणपत्र,31.03.2017 को(छायाप्रति संलग्न करें) तथा सम्बन्धित मद में सक्षम अधिकारी व्यापार करने के लिए अधिकृत होने का प्रमाण पत्र सलग्न करें।

2- वाणिज्य–वेट/आयकर चुकता/रिटर्न प्रमाण पत्र,31.03.2017 की स्थिति में(छायाप्रति संलग्न करें)

3- अमानत राशि रू–––––––––––ड्राफ्ट नं.–––––––––––––––––दिनांक––––––––––––– सलग्न करें।

4- सामग्री की अंकित मूल्य सूची,निविदा आवंदन–पत्र(अन्य सेम्पल,स्टेशनरी,डेली निड्स,गणवेश)

5- कम्पनी द्वारा प्रिंटेड केटलॉग/मूल्य सूची एवं डीलरशिप/निर्माणकर्ता/आपूर्तिकर्ता का प्रमाण–पत्र।

6- खाद्य सामग्री के सेम्पल 50 ग्राम जार (डिब्बी) या लॉक वाली पॉलिपैक में ही स्वीकार किये जायेगे,जिसमें दर,फर्म का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।

7- 100/– का स्टाम्प पेपर सलग्न करें **(निविदा स्वीकृत होने पर)**

8- **निविदाकर्ता को स्वयं का ई–मेल आयडी एवं फर्म का ई–मेल आयडी देना आवश्यक होगा।**

9- साथ ही सलग्न प्रपत्र में फर्म के बैक खाते एवं आ.एफ.एस.ई कोड की जानकारी देना आवश्यक होगा।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय,
प्रभात पट्टन बेतूल

निविदादाता का घोषणा–पत्र

दिनांक------------

मैं/मेसर्स---ने आपके द्वारा उल्लेखित पैरा क्रमांक 01 से 20 तक निविदा की समस्त शर्तो को पढकर समझ लिया है, और स्वंय का/फर्म का मुद्रित लेटर पेड या मोहर तथा अपनी सहमति दो गवाहों के समक्ष देता हूँ। मुझे उक्त शर्ते मान्य है तथा मेरे द्वारा शर्त क 20 में मांगे गये सभी दस्तावेज संलग्न कर दिये गए है। मै उपरोक्त 1 से 20 तक उल्लेखित सभी शर्तो का अनविार्य रूप से पालन करने का वचन देता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर एवं पूर्ण पत्ता

1--------------------------------

फोन नं.--------------------------------
2.--------------------------------

फोन नं.--------------------------------

निविदादाता हस्ताक्षर--------------------------
फर्म का नाम--------------------------------
फर्म के मालिक का नाम------------------------
पूर्ण पता--------------------------------

फोन नं.(एसटीडी कोड सहित)--------------------
मोबाईल नं.--------------------------------
फर्म का ई–मेल आयडी(स्पष्ट अक्षरों में)--------------
फर्म मालिक का ई–मेल आयडी(स्पष्ट अक्षरों में)----